

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

16 मार्च, 2000

खण्ड-1 अंक-8

अधिकृत विवरण

विशय सूची

वीरवार, 16 मार्च, 2000

	पृष्ठ संख्या
अल्प सूचना प्रश्न एवं उत्तर	(8)1
वाक आउट	((8)4
ध्यानकर्षण प्रस्ताव की सूचना	(8)6
ध्यानकर्षण प्रस्ताव—	
पलवल भाहर मे पीने के पानी में सीवरेज का मिलाकर आने संबधी	(8)6
स्थगन प्रस्ताव सूचना	(8)9
वाक आउट	(8)10
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(8)10
निमय 16 के अधीन प्रस्ताव	(8)11
सदन की मेज पर रखे गये कागज पत्र	(8)11
विधान—कार्य	
1. दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं0 1) बिल, 2000	(8)12

2. दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 2), बिल, 2000	(8)14
3. दि हरियाणा पंचायती राज (अमेंडमेंट), बिल, 2000	(8)16
4. दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरे ान (अमेंडमेंट), बिल, 2000	(8)18
5. दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमेंडमेंट), बिल, 2000	(8)20
6. दि पंजाब आयुर्वेदिक एंड प्रैक्टी ानर्ज (हरियाणा अमेंडमेंट एण्ड वैलीडे ान), बिल, 2000	(8)21
7. दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमेंडमेंट), बिल, 2000	(8)23
8. दि इंडियन स्टैम्प (हरियाणाअमेंडमेंट), बिल, 2000	(8)25
धन्यवाद देना	(8)28

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 16 मार्च, 1999

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सतबीर सिंह कादयान) ने अध्यक्षता की।

अल्प सूचना प्र न एवम् उत्तर

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बरज अब प्र न पूछे जाएंगे।

Setting up of 133 K.V. Sub station at Ellenabad

1. Sh. Bhagi Ram: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) The date on which the foundation stone of setting up 133KV sub Station was laid down at Ellenbad; and

(b) The time by which the aforesaid sub station is likely to start functioning?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला):

(क) 132 के0वी उपकेन्द्र ऐलनाबाद की आधारिताला दिनांक 21.01.1991 को रखी गई थी।

(ख) वित्तीय प्रबन्ध हो जाने के बाद सामान्यता एक नये 132 के0वी0 ग्रिड उपकेन्द्र के निर्माण कार्य में 18-24 महीन

का समय लगता है। ह आ ा की जाती है कि इस कार्य के लिए धन के प्रबन्ध की पुश्टि अगले 4-5 महीने में कर ली जाएगी।

श्री भागी राम: अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी को पता है कि सब स्टे ान की आधार ि ाला स्वयं इन्होंने रखी थी और सन् 1991 में रखी गई थी। उसके बार से आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है इसका क्या कारण है? क्या उसके बाद से लेकरक आज तक कोई 132 के0वी10 के सब स्टे ान और दूसरे सब-स्टे ांज मंजूर भी हुए है या बने है तो हमारे यहा जो सब-स्टे ान की आधारशीला रखी गई थी उसको बनने में इतनी देरी क्यों हुई इसका क्या कारण है?

श्री ओम प्रका ा चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 21.01.91 को इसकी आधार ि ाला मैंने ही मुख्य मंत्री के रूप में रखी थी। बाद में हमारी सरकार चली गई। उसके बाद जो सरकारों आई उन्होंने दुर्भावना से सारे काम बंद कर दिए थे। हम उन सब कामों को दोबारा से करेगे।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला: अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में छायसा गावं में है वहां पर 3 प्रति ात ही बिल्डिंग का काम हुआ है। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या ये उसकस भी काम पूरा करवाएंगे?

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में यह आवासन दूंगा कि पिछली सरकार के जो खोदे हुए गड्ढे हैं। हम उनको भरेगे। उनको भरने में कुछ साल लगेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि यह सरकार की जिम्मेवारी है कि हरियाणा में पर्याप्त मात्रा में बिजली दी जाए और इसके लिए हम पूरी बिजली देने की कोशिश करेंगे। (गौर एवं व्यवधान)

श्री रघुबीर सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में जहाजगढ़ में मैंने 33 के 0 वी 0 का सब स्टेशन बनना था उसके बारे में भी मुख्य मंत्री जी बता दें। (विधन)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं डा० साहब की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सरकार की सोच केवल एक ही है कि हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक को सारी सुविधाएं मिलें। सरकार हर सम्भव प्रयास करेगी कि वह सभी को पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध करवाए। इसमें समय तो जरूर लगेगा।

श्री रघुबीर सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: डा० साहब, मुख्य मंत्री जी ने जनरली बता दिया है कि पिछली सरकार के गड्ढों को भरने में थोड़ा समय लगेगा। अब आप बैठें। उन्होंने इन जनरल कह दिया है। (विधन)

श्री रघुवीर सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को अपने हल्के की बात तो कहीन ही पड़ेगी।

Contraction of Over-Bridge on Railway Line in Rewari City

2. Sh. Ajay Singh: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct over bright on Rewari-Jhajjar and Rewari-Narmaul roads across Delhi_Jaipur Railway line in Rewari City.

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): इस समय केवल रेवाड़ी-नारनौल ऊपरगामी पुल के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचारधीन हैं जो कि बी०ओ०टी० के आधार पर होना है। अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सदस्य को यह विवास भी दिलाना चाहूंगा कि वह बड़ा जरूरी पुल है और हम इसको प्राथमिकता के आधार पर ले रहे हैं। चूंकि सरकार की आर्थिक स्थिति ऐसीनहीं है कि वे अपने सोर्सिज से इस पुल को बना सकें, इसलिए बी०ओ०टी० के माध्यम से हम बहुत जल्दी इस कार्य को सुचारू रूप से कराने के लिए सोच रहे हैं।

श्री अजय सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने अपने जवाब में यह कहा है कि रेवाड़ी-नारनौल ओवर ब्रिज के निर्माण का प्रस्ताव अंडर कंसीड्रेशन है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर खासतौर से जब से इंडियन ऑयल कोरपारेन का प्लांट लगा और जबसे ड्राई पोर्ट बना है तब से वहां पर बहुत बड़े बड़े ट्रेलर्ज किनलते हैं। जिससे वहां पर लम्बी लम्बी कतारे लग जाती हैं।

खास तौर से रिवाड़ी झज्जर रोड पर जो रेलवे लाईन का क्रांसिंग हैं वह बहुत महत्वपूर्ण क्रांसिंग है। क्या इस पर भी ओवर ब्रिज बनाने पर सरकार विचार करेगी? अध्यक्ष महोदय, बजट के अंदर तो इस तरह कके पुल बनाने के लिए कोई पैसा नहीं रखा गया है। अगर यह काम बी०ओ०टी० के तह नहीं हो कसता तो क्या सरकार इस काम को करवाने के लिए अपनी तरफ से अपना भोयर देगी ताकि यह काम पूरा हो सके।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, अजय सिंह को यह बताना चाहूंगा कि जिस दूसरे पुल का इन्होनें जिक्र किया है वहां अभी एक दूसरा बाईपास और बना रहे हैं पुरानी प्रपोजल पहले बाईपास की थी लेकिन वहां पर दूसरा बाईपास बनेगा तो उसके बाद फासले का ध्यान में रखकर फिर निर्णय लिया जाएगा।

श्री भगवान सहाय रावत: मैं आपके मध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बी०ओ०टी० के आधार पर ही सरकार ने फरीदाबाद में बाटा पुल बनाने की आधारित रखी थी तो अब सरकार उसको कत तक पूरा करवाने का विचार रखती है?

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं रावत साहब को यह जानकारी देना चाहूंगा कि इसी प्रकार से पानीपत में भी एक ओवर ब्रिज बनना है। और फरीदाबाद में भी बनना है लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि पुराने गड्ढों को भरने में हमें समय लगेगा। सारे मामले को देखकर जैसा संभव हो पाएगा वैसे

ही बी०ओ०टी० के तहत सारे पुल बनाए जाएंगे ताकि लोगों को आवागमन में दिक्कत न हो।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने बी०ओ०टी० के द्वारा पुल बनाने के बारे में जिक्र किया है मैं आपके द्वारा उनसे जानना चाहूंगा कि हरियाणा के अन्दर कितने पुल ऐसे हैं जिनको बी०ओ०टी० के द्वारा बनवाने की ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल मिल गयी है और यदि कुछ पुलों की ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल मिल गयी तो क्या उन के लिए टैडर्ज वगैरह आये है? अध्यक्ष महोदय, ऐसा ही एक पुल पलवल—अलीगढ़ रोड़ पर भी बनना था क्या मुख्यमंत्री जी इसबारे में भी कोई जानकारी देगे?

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, जिस पुल का जिक्र रावत साहब ने किया था वह तो अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। बाकी पुलों के निर्माण में अभी विचार विमर्श चल रहा है और इनमें समय लगेगा। ये सब विचारधीन है कई और भी किस्म के पुल है।

Nikhri and Jeetpura Distributaries

6. Sh. Ajay Singh: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Nikhir distributaries extension and Jeetpura extension; and

(b) If so, the details thereof, together with the time by which the aforesaid proposal is likely to be implemented?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला):

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) निखरी डिस्ट्रीब्यूटरी का विस्तार 5.934 कि०मी० तक तथा जीतपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी का विस्तार 4.750 कि०मी० से 7.515 कि०मी० तक किया जाना है जिनकी अनुमानित लागत क्रमशः 130 लाख व 52 लाख रुपये आंकी गई है। इन नहरों का निर्माण कार्य तीव्र सिंचाई लाभ प्रोग्राम के अन्तर्गत धनराशि की उपलब्धता होने पर 30.12.2000 तक पूराहोने की सम्भावना है।

श्री अजय सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी जानना चाहूंगा कि ये जो हमारी दोनों निखरी और जीतपुरा डिस्ट्रीब्यूटरीज थी ये कौन सी स्कीम के तहत और कब सैंकान हुई थी? क्या ये अंडर आ०डी०आई० स्कीम के तहत सैंकान हुई थीं इसे सैंकान हुए कई वर्ष हो गए हैं। इसके साथ की 60-70 करोड़ रुपये की स्कीमज सिरसा के इलाके में काम भी भुयहो गया है हमारे दक्षिणी हरियाणा में पानी की बेयरिंग कैपेंसिटी को बढ़ाने के लिए क्या इन स्कीमों पर काम शुरू करेंगे और यदि करेंगे तो कब तक करेंगे?

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को तारीख भी तय करके बता दी कि दिसम्बर तक यह हो

जाएगों सरकार इसके लिए बचनबद्ध है। और ऐसे मामलों को हम प्राथमिकता प्रदान करेंगे।

श्री कृष्ण लाल पंवार: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 1977 में चौधरी देवी लाल जी की सरकार के समय में मेरे हल्के में मीटर माजरा फाल से जो 11 माइनर निकलती है। उसको पक्का करने के लिए चौधरी देवी लाल जी पैसा सैक इन करके गए थे ओर 1982 में चौधरी भजन लाल जी की सरकार ने उसको पक्का तो कर दिया था लेकिन अउसका लैवल ऐसा बनाया कि जो 11 माइनर में आत तक पानी नहींआया। मुख्य मंत्री जी पिछले दिनों 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के अन्तर्गत वहां एग थे तो वहां के लोगों ने इस समस्या को मुख्य मंत्री जी के समक्ष रखा था। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उस जो 11 माइनर का लैवल ठीक करके उस माइनर में सुचारु रूप से पानी चलाने का कश्ट करेंगे यदि हो तो कब तक?

श्री ओम प्रकाश चौटाला: सरकार इसके लिए वचनबद्ध है कि पर्याप्त मात्रा में पानी दिया। ऐसे बहुत से मामले हमारे विचारधीन है। यदि सम्मानित सदस्य अलग से पूछेंगे तो इस पटिकूलर मामले की जानकारी दे दी जाएगी।

श्री रघुवीर सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में भंभेवा माइनर है। (विधन)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य एक एक माइनर के बारे में पूछेंगे तो कैसे काम चलेगा? मैं अपनी बात पुन दोहराकर इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को यह विचार वास दिलाना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो जरूरी मामले हैं उन्हें सरकार प्राथमिकता के आधार पर लेकर पर्याप्त मात्रा में पानी और बिजली उपलब्ध करा सके और हरियाणा प्रदेश को बाढ़मुक्त कर सके और किसान को अनेक प्रकार की सुविधाएँ मिल सकें, की दिशा में कार्य करेगी।

श्री रघुवरी सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, आप हमारी कस्टोडियन हैं हम आपसे अपेक्षा नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे।

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाए। आपका यह सवाल मेरे सवाल से रिलेटिव नहीं है। अब प्रश्न समाप्त हो गए हैं।

वाक आउट

श्री अजय सिंह: स्पीकर सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गया है। (विधन)

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब, आप बैठ जाइये, श्री करण सिंह दलाल का ध्यानकर्षण प्रस्ताव है। उस पर चर्चा होने दें। (विधन)

श्री रघुबीर सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, मेरे तीन प्रश्नों परन्तु उनका अच्छी तरह से जवाब नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: देखिए आपने जो प्र न पूछे थे, उनका संतोशजनक जवाब दे दिया गया है और प्र न समाप्त हो गए इसलिए प्र नकाल अब ज्यादा लम्बा नहीं चल सकता। आप कृपया बैठ जाइये।

श्री अजय सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है उस पर बहस होने चाहिए। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ ओर आप मुझे बोलने का समय नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब बाप बैठ जाइये।

वित्त मंत्री (श्री संपत सिंह): स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि प्र नकाल बहुत जरूरी होता है यह बात हम भी मानते हैं। लेकिन अगर कोई प्र न समय पर नहीं दे सके तो इसमें सरकार क्या कर सकती है कमजोरी तो माननीय सदस्यों की खुद की है ओर कहते हैं कि हमारे प्र नों का जवाब नहीं दिया गया। सारे माननीय सदस्य पढ़ लिखे हैं, सीनियर भी हैं और यह भी जानते हैं कि एक सदस्य का एक बार में दो प्र न से ज्यादा नहीं लग सकते हैं। अगर वे चाहत तो भाई नोटिस में प्र न दे सकते थे। अब जो प्र न दिए गये थे वे सब लग चुके हैं और उनका जवाब भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने संतोशजनक दे दिया है। इस बात से स्पष्ट हो जाता है। कि इन माननीय सदस्यों को डेमोक्रेसी में कितना

बिलीफ हैं अगर जनता के प्रति सीरिसय होते तो भारत नोटिस प्र न दे सकते थे।

श्री रघुबीर सिंह कादयान: स्पीकर सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर हैं (विध्न)

श्री अध्यक्ष: कादयान साहब, जीरो आवर क दौरान कोई प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं होता।

श्री सम्पत सिंह: स्पीकर सर, माननीय सदस्य लिखित रूप में तो कोई प्र न देते नहीं है ओर सदन में जबानी बात रकत`हैं बाद में प्वायट ऑफ आर्डर की बात करते हैं। जबकि इन्हें पता है कि जीरो आवर में कोई प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं होता।

श्री रघुबीर सिंह कादयान: स्पीकर सर, मै मानता हूं कि माननीय वित्त मंत्री के सामने कुछ राजनीति मजबूरियों हैं ये इतने काबिल है कि कल बजट पर भी हमें बोलने का पांच मिनट से ज्यादा समय नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष: कादयान साहब आप बैठिएं

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात दुख के साथ कहनी पड़ रही है जब लीडर ऑफ दि हाउस किसी प्र न का जवाब दे तो उन्हें पूरी जानकारी होनी चाहिए। परन्हतु प्र नों का ठीक ढंग से जवाब नहीं दिया जा रहा है। मेरे माननयी सदन

के नेता से विनती है। कि वे सछसयों के प्र ानों को सही जवाब दें।

श्री रघुबीर सिंह कादयान: स्पीकर सर, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है।

श्री अध्यक्ष: आप सब एक साथ बोलोगे तो बात कैसे सुनी जायेगी। एक-एक सदस्य को बोलना चाहिए। आप एक साथ दो-दो सदस्य बोल रहे हैं।

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से एक बात कहना चाहता हूँ कि इनको प्रत्येक मैम्बर के प्र ान का जवाब देना चाहिए और टाल-मटोल नहीं करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष प्रत्येक प्र ान पर 2-2, 3-3 सप्लीमेंटरी हो चुके हैं।

श्री रघुबीर सिंह कादयान: स्पीकर साहब, हमें क्वै चन पूछने का पूरा अधिकार इसलिए आप हमें हमारे क्वै ान के जवाब सरकार से दिलावाए। (गोर)

श्री अजय सिंह: स्पीकर साहब, हम अपने इलाके के लोगों की दुःख तकलीफ यहां हाउस में नहीं रख सकते तो हमारा यहां हाउस में बैइने काक्या फायदा है। (गोर)

श्री अध्यक्ष: कृपा करके सभी माननीय साथी अपनी-अपनी सीट पर बैठ जाए।

श्री रघुबीर सिंह कादयान: स्पीकर साहबा, यदि आप हमें अपने प्रश्न पूछने के लिए समय नहीं देते हैं तो हमारा यहां हाउस में बैठने का क्या फायदा है इसलिए मैं एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक आउट करता हूँ।

(इस समय इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य श्री रघुबरी सिंह कादयान सदन से चले गए।)

ध्यानकर्षण प्रस्ताव की सूचना

श्री अजय सिंह: अध्यक्ष महोदय, धारूहेड़ा में जो इण्डस्ट्रीज लगी है, वे वहां पौल्यूशन फैला रही हैं और उससे लोगों की आंखें खराब हो रही हैं। इस बारे में मेरा ध्यानकर्षण प्रस्ताव है उसके बारे में आपने क्या फैसला किया है।

श्री अध्यक्ष वह डिस अलाउ कर दिया गया है कृपया आप बैठ जाएं।

श्री अजय सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मेंबर है। इसको इग्नोर क्यों किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: कृपया आप बैठ जाएं।

ध्यानकर्षण प्रस्ताव

पलवल भाहर में पीने के पानी में सीवरेज का पानी मिल करआने संबंधी

Mr. Speaker: I have recieved a calling atttention notice from Sh. Karn Singh Dalal, regarding the mixing of sewerage water into drinking water in Palwal. I admit it, Sh. Karna Singh Dala, may read his notice. (Interruptions)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी कालिंग अटै इनंज पढ़ने से पहले आपसे एक अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने आपकी सेवा में जो एडजर्नमेंट दिया है उसके बाद में आपने क्या फैसला दिया है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अजय सिंह: स्पीकर साहब, आपको मेरी कालिंग अटै इन मो इन किस बिनाह पर डिस अलाउ किया है। (गोर)

श्री अध्यक्ष: चौ० भजन लाल जी आपन अपनी पार्टी के सदस्यों को समझाएं कि वे इस तरह से भाोर मचाकर सदन का माहौल खराब न करे। जो आट भाॉर्ट नोटिस क्वै चन थे उनके बारे में जिन-जिन माननीय सदस्यों ने सप्लीमैटरी पूछी उनका जवाब सराकर की तरफ से आ गया। जो श्री रघुबीर सिंह कादयान सवाल पूछना चाहत थे वे मेन सवाल से सम्बन्धित नहीं था।

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैम्बर ने जो सवाल पूछा है। उसकस जवाब देना सरकार का दायित्व होता है। (विधन) इस तरह से यह भाोर-शराबा नहीं होना चाहिए। हमारे कुछ मैम्बर भी नये औ और स्पीकर साहब, आप भी

नये है। लेकिन मुख्य मंत्री महोदय तो नये नहीं है जो सवाल मैम्बर ने पूछा है उसके बारे में उसे संतुष्ट तो करना चाहिए। सवाल का जवाब देना सरकार का दायित्व है।

श्री अध्यक्ष: चौधरी भजन लाल जी जिस भी मैम्बर ने सवाल पूछा था उसका जवाब दे दिया गया है।

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, सवाल-जवाब के लिए एक घंटा होता है। लेकिन आपने तो यह पहले ही समाप्त कर दिया। आप पालियामेंट में जाकर देखें, वहां पर एक सवाल का जवाब देने में ही एक घंटा लगा जाता है आप प्र न भी ज्यादा नहीं थे। सिर्फ तीन प्र न थे और एक घंटे का समय था। इसस प्र न के ऊपर 20-20 मिनट बहस होनी चाहिए थी ताकि मैम्बर संतुष्ट हो जाते हैं। (विधन)

श्री अध्यक्ष: चौधरी भजन लाल जी भाँट नोटिस के ऊपर प्र न लगाये थे। (विधन)

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, भाँट नोटिस पर प्र न लगाने का मतलब यह नहीं होता कि समय ही न दिया जाए। (गोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री संपत सिंह): स्पीकर सर, विपक्ष के नेता ने अभी कहा कि तीन प्र न थे ओर एक प्र न के ऊपर 20-20 मिनट का समय देना चाहिए था। पालियामेंट में एक प्र न के जवाब में हदी एक घंटा लगा जाता है। इस बारे में मैं मैं मैं कहना

चाहूँकि इनकी बात ठीक है। लेकिन जो प्र न पूछ गये है वे किसी पर्टिकुलर माईनर , पर्टिकुलर सब स्टे न या पर्टिकुलर ब्रिज के बारे थे। उनका जवाब दे दिया है। अगर ये प्र नपूरे हरियाणा से संबंधित होते तो सभी मैम्बर उस बारे में पूछते और हम जवाब देते, जैसा पहले होता आया है। जो आज प्र न लगे थे वे सभी ही किस पर्टिकुलर जगह के बोर में थे। जिनका मुख्य मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया। इसलिए उनपर ज्यादासमय कैसे लगाते हैं स्पीकर सर, चौधरी भजन लाल जी ने कहा कि कैप्टन साहब ने नये मैम्बर है। इस बारे में भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर इनका फौज का एक्सीरियंय न भी लगायेतो भी ये बहुतसीनियर है।

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने कैप्टन साहब के बारे नमें नहीं। बल्कि जो हमारी पार्टी के पहली बार विधायक बन आये है उनके बारेमें कहाँ है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री संपत सिंह: स्पीकर साहाब, उसके बाजवूद जो जनरल पोलिसी थी वह पढ़कर बता दी इरीगे न के मामले में, पवार के मामले में सरकार की जा जनरल पोलिसी थी वह भी दे दी। हर पर्टिकुलर सवाल पर पर्टिकुलर जवाब ही दिया जात है। अन्य बातें तो आज तक नहीं हुई है और न हीह पहले इस तरह की परम्परा रही। स्वयं भजन लाल जी भी मुख्य मंत्री काफी समय तक रहे है। उनके टाइम में भी जो पर्टिकूलर प्र न आता था केवल उसी प्र न के ऊपर पर्टिकुलर जवाब आता हथा। उसी

हिसाब से तैयारी करके ही आते हैं। जनरल बात आएगी तो जनरल के हिसाब से ही जवाब आएगा। यह तो अध्यक्ष महोदय, आपकी फ्राखदिली है ओर मुख्य मंत्री जी की फ्राखदिली है। कि पोलिसी स्टेटमेंट भी इनके सामने रखा दी। इसके बाजवजर भी इनको एतराज है तो उसका तो कोई हल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप सामने मैम्बर्ज खुद बजट पर बोल कर गये हैं और अब ये कह रहे हैं कि बजट पर बोलने का मौका नहीं मिला। यहा बात तो सत्य से परे की बातें है। मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता से निवेदन करूंगा कि कम से कम वे यहां तो अपनीपार्टी के एम0एल0एज0 को बांध कर रखे। बाहर चाहे ये कितना ही लड़े इनके दो नेता हो या तीन लेता हो, हमें कोई एतराज नहीं है। (गोर) लेकिन यहां पर तो ये डिसिप्लिन में रहे। अध्यक्ष महोदय, जहां तक ट्रेनिंग कैम्प की बात है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने सौजन्य से ये कैम्प आयोजित कराये उसमें चाहे पालियामेंट के स्पीकर या दूसरे सदस्यों को बुला लें। (गोर)

एक आवाज: आप अपने वालों को तो डिसिप्लिन में रख लों। (गोर)

श्री सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि हमारे तो सारे के सारे सदस्य डिसिप्लिन्ड है। (गोर) हमारे जब लीडर खड़े हतो है और इ गारा भी करते है तो उस इ गारे पर एक-एक मैम्बर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। हम आप लोगों की तरफ नहीं है। (गोर)

अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से इन्होंने यहां हालत पैदा किये हैं अपोजी इन पार्टी के दो-दो मैम्बरज आपके आसन के पास आ कर खड़े हो जाते। और विपक्ष नेता अपनी तरह से खुद उनको समझाने आ रहे हैं। यह तो मैं इनका बड़प्पन मानता हूं कि इतने जूनियतर मैम्बरों को ये उठकर समझाने आ रहे हैं ताकि हाउस का डैकोरम बना रहे। इसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूं। (गोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, विपक्ष के नेता इनकी पार्टी के ही हैं और कम से कम अपनी पार्टी के नेता में तो इन लोगों को वि वास रखना चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से इन लोगों से अनुरोध करूंगा कि हाउस का डैकोरम बनाएं रखे तो अच्छा रहेगा। (गोर) अध्यक्ष महोदय, आज असैम्बली का लास्ट दिन है और जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहा है वही सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे तो अच्छी बात है। (गोर) अध्यक्ष महोदय, इनकी मजबूरी को हम समझते हैं। (गोर)

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जी, आप बैठिए। सारी बातें हो गई हैं। (गोर)

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि इसमें मैम्बरों का क्या दोष है? (गोर)

श्री अध्यक्ष: जब आपके मैम्बर उठ—उठ कर यहां ओ रहे है तो इसमें आपको मैम्बरों का नही तो और किस का दोश है।

श्री भजन लाल: सर मैम्बर जह हाउस में बैठे हुए है अगर कोई क्वै चर आता है तो मैम्बर सवाल तो पूछ सकते हैं सदन के नेता या मंत्री जी के पास अगर उसका जवाब नही है तो वे इतने ही कह सकते है कि यह बात इस क्वै चन से रिलेटिड नही है। नही तो, सदन के नेता को जरूर जबाब देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जी, मैने खुद कहां है कि क्वै चन से संबधित बात नही हैं भायद आपने सुना नही क्योंकि आपका ध्यान अपने सदस्यों को मनाने में था।

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता के पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। जो क्वै चर से जुडी हुई बात ने हो उसका जवाब देना चाहते है तो दें लेकिन सरकार परहम दबाव नही डाल सकते कि वे हर हालत में जवाब दें। हमारे लिये यह कहना मुनासिब भी नही है। लेकिन बार—बार इस तरह के लम्बे भाशण जो दिये जाते है उनका कोई लाभ नही है। (गोर) मै तो कही कर रहा हूं कि नेय मैम्बरों के लिए आप भी क्लासिज लाग लें ओर हम भी लगा लेगे। (गोर)

स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष: श्री कर्ण सिंह दलाल, आप आपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़े।

श्री कर्ण सिंह दलाल: सर, मैंने आपको भी ओम प्रकाश चौआला के खिलाफ एक एडजर्नमेंट मोशन दिया है।
(गोर)

श्री अध्यक्ष: अपने कालिग अटैमन मोशन पर बोलना है या नहीं, मैंने आपको कालिग अटैमन मोशन पर बोलने के लिए खड़ा किया है

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर सर, मैं इसे पढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन सदन के नेता श्री ओम प्रकाश चाटाला के खिलाफ मैंने जो एडजर्नमेंट मोशन 1 दिन ठो पहले मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। (गोर)

श्री अध्यक्ष: नहीं, अपना कालिग अटैमन मोशन पढ़ें।
(गोर) मैंने जो बोल दिया है आप उसके मुताबिक करें।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मैंने जो एडजर्नमेंट मोशन दिया है.....

वित्त मंत्री (श्री संपत सिंह): स्पीकर सर, जो आपकी इजाजत के बगैर बोला जा रहा है वह रिकार्डन नहीं किया जाए।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, श्री ओम प्रकाश चौआला के खिलाफ एक एफ0आई0आर0 नं0 34 दिनांक 21.01.97 दर्ज है, मैंने उसे गिरे में एडजर्नमेंट मोशन दिया है.....
(गोर)

श्री अध्यक्ष: आप सिर्फ मो न पर ही बोलिए।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, पहले मैंने एडजर्नमेंट मो न दिया है पहले मैं। उस पर बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आपका एडजर्नमेंट मो न अभी मेरे पास आया है, वह विचारधीन है। उसको हम एग्जामिन कर रहे हैं, उसके बारे में बाद में बोलना। पहले आप कांलिंग अटै न मो न पढ़िए।

ग्राम एवं नगर आयोजन मंत्री (श्री धीरपाल सिंह): स्पीकर सर, जो चीज पहले एडमिट होती है, उसी पर चर्चा होनी चाहिए। इनका कांलिंग अटै न मो न पहले एडमिट हुआ है इसलिए पहले उसी पर चर्चा होनी चाहिए। (ोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल: सर, मैंने एक एडजर्नमेंट मो न दिया है * * * * (ोर)

श्री अध्यक्ष: ये जो कुछ भी कर रहे हैं। वह रिकार्ड न किया जाए। आप केवल काल अटै न मो न पर ही बोलिए। अगर आप नहीं मानते तो मैं अगला आईटम लेता हूं।

वाक आउट

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, आप मुझे एडजर्नमेंट मो न पर बोलने नहीं दे रहें, इसलिए मैं सदन से वाक आउट करता हूं।

(इस समय रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया के सदस्य श्री कर्ण सिंह दलला सदन से वाक आउट कर गए)

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 15.

Finance Minister (Sh. Sampat Singh) Sir, I beg to move—

That the proceeding on the item of business fixed for today, be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule "Sittings of the Assembly' definitely.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the proceeding on the item of business fixed for today, be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule "Sittings of the Assembly' indefinitely.

Mr. Speaker: Question is—

That the proceeding on the item of business fixed for today, be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule "Sittings of the Assembly' indefinitely

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule 16.

Finance Minister (Sh. Sampat Singh): Sir, I beg to move—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine die.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine die.

Mr. Speaker: Question is—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine die.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए कागज—पत्र

Mr. Speaker: Now, a Minister will lay papers on the Table of the House.

Finance Minister (Sh. Sampat Singh): Sir, I beg to lay on the table—

The Grant Utilization Certificate and audit Report for the year 1997-98 of Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar as required under Section 34(5) of the Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970

The Annual Report of the Haryana State Industrial Development Corporation Limited for the year 1998-99 as required under Section 619-A (3) of the Companies Act, 1951.

The Audit Report on the Accounts of Haryana Financial Corporation of three-year 1997-98 as required under Section 37(7) of the state Financial corporation Act, 1951

The Finance Account of the Government of Haryana of the year 1998-99 in pursuance of the provision of clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Appropriation Accounts of the Government of Haryana for the year 1988-99 in pursuance of the provision of clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2000, No. 1 (Revenue Receipt) of the Government of Haryana in pursuance of the provision of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

विधान-कार्य

1. दि हरियाणा एप्रोप्रिए न (नं० 1) बिल, 2000

Mr. Speaker: Now the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 2000 and also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Sh. Sampat Singh): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 2000.

I also beg to move—

That the Haryaa Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

Mr Speaker: Motion moved-

That the Haryaa Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryaa Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill

The motion was carreid

Clause-3

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill

The motion was carred.

Schedule

Mr. Speaker: Question is-

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker: Question is-

That clause-1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Sh. Sampat Singh): Sir, I beg to move—

That the Bill passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

श्री इन्द्रजीत सिंह (जाटूसाना): अध्यक्ष महोदय, मैं प्वायंट ऑफ आर्डर पर खड़ा हुआ था। स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि पूरा हाउस आपकी इज्जत करता है तथा आपसे यह उम्मीद भी रखता है। कि आप निष्पक्ष होकर हाउस की प्रोसीडिंग्स की चालेंगे। जो कॉलिंग अटै इन मो इन्ज आई है उनकी बाबत मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जो कॉलिंग अटै इन मो इन या एडजर्नमेंट मो इन आए तो सदन के सदस्य आपसे उम्मीद करते हैं कि उस पर आपने क्या फैसला लिया है वह बताया जाए। आपने कर्ण सिंह दलाल की एडर्नमेंट मो इन को रिजैक्ट कर दिया उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आपने सह नहीं बताया कि उसको रिजैक्ट क्यों किया।

श्री अध्यक्ष: वह रिजैक्ट नहीं की हैं उसमें मैंने यह कहा कि वह विचारधनी है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, परम्परा के अनुसार हाउस चालता है। पुरानी नीतियों के अनुसार हाउस चलता है। पुरानी प्रथा यह रही हैं कि जब भी कोई मो इन रिजैक्ट किया जाता है। तो उसका यहां पर कारण बताया जाता है। आप यहां पर कह देते है कि हमने आपकी एडर्जमेंट मो इन रिजैक्ट कर दी है। कर्ण सिंह दलाल की एडर्नमेंट मो इन रिजैक्ट कर दी हैं यह क्यों की है यह जानने के लिए खड़े हुए है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष महोदय, जब मैं बता रहा था तो आप लोगों ने भाँर मचा दिया। आपने सुना ही नहीं। वह रिजैक्ट नहीं की वह एग्जामिनकर रहे हैं। एक काल मैं इन लगाने का मतलब यह नहीं कि आप बीसियों पर बोलें।

श्री सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, अपने क्लीयर कर दिया था। ये तो यहाँ पर जो मैं गा बना कर आए थे उसी मैं गा के हिसाब से यहाँ पर सब कुछ कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने एप्रोप्रिए इन बिल पास करने के लिए मो इन मूव किया हुआ है। आप उसको पास करें।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुने। आप हमें सुन ही नहीं रहे हैं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मेरी भाराफत का यह मतलब नहीं आप यो ही बोलते रहे। आपको एक काल अटैं इन मो इन पर बोलने का मौका मिला तो इसका मतलब यह नहीं कि आप आप बीसियों पर बोले। आप मेरे अधिकरों को देखा मैं इनका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। आप पिछली प्रथा को भी देखे उस वक्त क्या हुआ करता था। आप सब बैठ जाए। (गोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुने।

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill passed

The motion was carried.

2. हरियाणा एप्रोप्रिए नं (नं० २) बिल, २०००

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 2000 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Sh. Sampat Singh): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 2000.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker; Question is-

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr. Speaker: Question is-

That clause-2 stand part of the Bill

The motion was carried

Clause-3

Mr. Speaker: Question is-

That clause-3 stand part of the Bill

The motion was carried

Schedule

Mr. Speaker: Question is-

That Schedule be the Schedule of the Bill

The motion was carried

Clause-1

Mr. Speaker: Question is-

That clause-1 stands part of the Bill

The motion was carried

Enacting Formula

Mr. speaker: Question-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of
the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Questions-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

The motion was carried

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Sh. Sampat Singh): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

3 दि हरियाणा पंचायती राज (अमेंटमेंट) बिल, 2000

Mr. Speaker: Now the Chief Minister will introduce the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2000 and will also move the motion for its consideration.

Chief Minister (Sh. Om Parkash Chautal): Sir, I beg to introduce the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2000.

Sir, I also beg to move-

That the Haryan Panchayati Raj (Amendment) Bill be taken into consideration.

श्री भजन लाल (आदमपुर): अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बिल के बारे में एक मिनट बोलना है। सरकार पंचायती राज में इस बिल के माध्यम से अमेंडमेंट ला रही है। लेकिन इससे पहले कम से कम इनको इस बिल की थोड़ी भूमिका तो हाउस को बतानी चाहिए कि इस बिल का हाउस में लाने का मकसद क्या है, क्या सरकार यह बिली ला रही है? ये सारी बातें इनको हाउस को बतानी चाहिए।

वित्त मंत्री (श्री सम्पत सिंह): स्पीकर सर यह बिल तो कल ही हाउस में सर्कुलेट कर दिया गया था अभी तक तो ये राज में ही रहे हैं पहलीबार इनको अपोजी उन में आने का मौका मिला है अगर आप इस बार तैयारी करके नहीं आए तो कोई बात नहीं हमें उम्मीद है कि आप अगली बार तैयार करके आएंगे।

श्री इन्द्रजीत सिंह: अगर हम तैयारी करके नहीं आए हैं तो क्या आप तैयारी करके आए हैं। अगर आप तैयारी करके आए भी हैं तो आप ही इस बारेमें हमें बात दें।

श्री सम्पत सिंह: स्पीकर सर, ये इन बिलज को बारे में पढ़ कर तो आते नहीं हैं। फिर भी अगर इनके दिमाग में कोई सवाल इस अमेंडमेंट से संबंधित है या कोई भांका है तो ये यहां पर पूछ सकते हैं। ये पूछे ताक सही परन्तु ये इसको पढ़कर ही नहीं आए हैं आपको इसको पढ़ कर आना चाहिए था। (विधन)

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill
be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill
clause by clause.

Clause-2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause-2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker: Question is-

The motion was carried

Clause-1

Mr. Speaker: Question is-

The Clause-1 stand part of the Bill.

The motion was carried

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula of the Bill.

The Motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Chief Minister will move that the Bill be passed.

Chief Minister (Sh. Om Parkash Chautala): Sir I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is

That the Bill be passed.

The motion was carried.

4. दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरे ान (अमैडमैँट) बिल, 2000

Mr speaker: Now, the Minister of state for Local Government will introduce the Haryana Municipal Corporaton (Amendment) Bill, 2000 an will also move the motion for its consideraton.

स्थानीय भासन राज्य मंत्री (श्री सुभाश चन्द्र):
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगर निगम (सं तोधन)
विधेयक 2000 प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ—

दि हरियाणा नगर निगम (सं तोधन) विधेयक पर तुरन्त
विचार किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Municipal Corporation
(Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker; Question is-

That the Haryana Municipal Corporation
(Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill
clause by clause.

Clause-2

Mr. Speaker: Question is-

That clause-2 stand part of the Bill

The motion was carried

Clause-3

Mr. Speaker: Question is-

That clause-3 stand part of the Bill

The motion was carried

Clause-1

Mr. Speaker: Question is-

That clause-1 stands part of the Bill

The motion was carried

Schedule

Mr. Speaker: Question is-

That Schedule be the Schedule of the Bill

The motion was carried

Clause-1

Mr. Speaker: Question is-

That clause-1 stands part of the Bill

The motion was carried

Enacting Formula

Mr. speaker: Question-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of
the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Questions-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

The motion was carried

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

स्थानीय भासन मंत्री (श्री सुभाश चन्द्र): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ—

कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

श्री इन्द्रजीत सिंह (जाटूसाना): अध्यक्ष महोदय, नगर निगम काक बिल लाया गया है। और पास करवासा जा रहा है इनके इलैक्ट्रिक इन दिसम्बर में होने चाहिए थे अब जाकर के मार्च के अन्दरहोने लग रहे हैं। इस पर केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसे हमको पास तो करना पड़ेगा अज़ेर पोस्ट डेटिड करना पड़ेगा लेकिन कारण जरूर हाउस के सामने आना चाहिए। नगर पालिका के चुनाव, पंचायतों के चुनाव और जिला परिशदों के चुनाव और जिला परिशदों के चुनाव वधान सभा चुनाव से पहले नहीं होने चाहिए, इस प्रकार का प्रयास सरकार की तरफ से किया गया था क्योंकि चुनावों से पहले मानीय मुख्यमंत्री महोदय

की सरकार इस प्रदेश में कार्यरत थी इसलिए जानते थे कि अगर पंचायतों के चुनाव विधान सभा के चुनाव से पहले हो गये तो वर्तमान सरकार की सरकार भायद नहीं बन सकती थी इसलिए कान्टीच्यू इन ओबलिंगे इन को इन्होंने नजर अंदाज किया । इनकी इस बात को सारे प्रदेश में खासा रोश है । और कांग्रेस पार्टी इनकी इसनीति के ऊपर रोश प्रकट करती है ।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मैं राव इंदजीत सिंह जी की जारकरी के बताना चाहूंगा । इकी यह बात तो ठीक है कि पंचायतों के चुनाव और जिला परिशदों के चुनाव विधान सभा के चुनाव से पहले होने चाहिए थे । लेकिन किसी व्यक्ति ने हाईकोर्ट में एक अपील ज दाय कर दी थी इसलिए पंजाब और हरियाणा के कोर्ट ने उस अपील के आधार पर चुनावों को जून तक स्थगित कर दिया था । उसके बाद कांग्रेस पार्टी के सएक सदस्य ने हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर ही इन चुनावों की तरखी तय की गई । राव इंदजीत सिंह को ज्ञान तो सब बातों का है । इनकी पार्टी न तो प्रयासकिया था विधान सभा के चुनावों से पहले कुछ बखेड़ाहो लेकिन कोर्ट ने तो इनकी बात को नहीं माना ।

श्री इन्दजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की उपलब्धि को तो हम मान है कि वर्तमान सरकार विधान सभा के चुनावों से पहले पंचायतों के चुनाव होने दिए । (विधन)

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

5. दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरे ान (अमैडमैँट) बिल, 2000

Mr speaker: Now, the Minister of state for Local Government will introduce the Haryana Municipal Corporaton (Amendment) Bill, 2000 an will also move the motion for its consideraton.

स्थानीय भासन राज्य मंत्री (श्री सुभाश चन्द्र): अध्यक्ष महोदय, मै हरियाणा नगर निगम पालिका (सं ाोधन) विधेयक 2000 प्रस्तुत करता हूं।

मै यह भी प्रस्ताव करता हूं—

दि हरियाणा नगरपालिका (सं ाोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker; Question is-

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr. Speaker: Question is-

That clause-2 stand part of the Bill

The motion was carried

Clause-3

Mr. Speaker: Question is-

That clause-3 stand part of the Bill

The motion was carried

Clause-1

Mr. Speaker: Question is-

That clause-1 stands part of the Bill

The motion was carried

Clause-1

Mr. Speaker: Question is-

That clause-1 stands part of the Bill

The motion was carried

Enacting Formula

Mr. speaker: Question-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Questions-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

स्थानीय भासन राज्य मंत्री (श्री सुभाश चन्द):
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ—

कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr.Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

6. दि पजांब आयुर्वेदिक एंड यूनानी प्रैक्टी अनर्ज (हरियाणा
अमेंटडमेंट एवं वैलीडे अन) बिल, 2000

Mr. Speaker: Now the Minister of State for Health will introduce the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana amendment and Validation) Bill 2000 and will now move the motion for its consideration

स्वास्थ्य राज मंत्री (श्री मुनि लाल रंगा): अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी (हरियाणा संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2000 प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ—

कि पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यावसायी (हरियाणा संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana (Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker; Question is—

That the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana (Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr. Speaker: Question is—

That clause-2 stand part of the Bill

The motion was carried

Clause-3

Mr. Speaker: Question is-

That clause-3 stand part of the Bill

Clause-4

Mr. Speaker: Question is-

That clause-4 stand part of the Bill

The motion was carried

Clause-1

Mr. Speaker: Question is-

That clause-1 stands part of the Bill

The motion was carried

Enacting Formula

Mr. speaker: Question-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of
the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That clause-1 stands part of the Bill

The motion was carried

Title

Mr. Speaker: Questions-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Mr. Speaker: Now, the Minister of state for Health will move that the Bill be passed.

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल रंगा): आदरणीय अध्यक्ष मै प्रस्ताव करता हू।

कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved-

That bill be passed.

Mr. Speaker: Question si-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

7. दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैडमेंट) बिल,
2000

Mr. Speaker: Now, the Chief Minster will introduce the Haryana general Sales Tax (Amendment) Bill, 2000.

Chief Minister (Sh. Om Parkash Chautla): Sir, I beg to introduce the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 2000.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr. Speaker: Question is—

That clause-2 stand part of the Bill

The motion was carried

Clause-3

Mr. Speaker: Question is—

That clause-3 stand part of the Bill

Clause-4

Mr. Speaker: Question is—

That clause-4 stand part of the Bill

The motion was carried

Chief Minister (Sh. Om Parkash Chautala): Sir, I beg to move—

That the proposed sub-clause(v) clause be omitted.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the proposed sub-clause(v) clause be omitted.

Mr. Speaker: Question-

That the proposed sub-clause(v) clause be omitted.

The motion was carried.

Clause-5

Mr. Speaker: Question is-

That clause-5 stands part of the Bill

The motion was carried

Clause-1

Mr. Speaker: Question is-

That clause-1 stands part of the Bill

The motion was carried

Enacting Formula

Mr. speaker: Question-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That clause-1 stands part of the Bill

The motion was carried

Title

Mr. Speaker: Questions-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Mr. Speaker: Now, the Chief Minister will move that the Bill be passed.

Chief Minister (Sh. Om Parkash Chautala) : Sir, I beg to move—

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

8. दि इंडियन स्टैम्प (हरियाणा अमैंडमेंट) बिल, 2000

Mr. Speaker: Now, the Revenue Minister will introduce the Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill, 2000 and will also move the motion for its consideration.

ग्राम एवं नगर आयोजन मंत्री (श्री धीरपाल सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय स्टैम्प (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2000 प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ—

कि भारतीय स्टैम्प (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री इन्द्रजीत सिंह (जाटुसाना): अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री जी ने जो बिल इन्ट्रोडूस किया है उसके ओब्जेक्ट में लिखा है कि—

“Release Deed” is being mis-used by Co-owners, Co-Shares etc. for renouncing their interest, share, part or claim in favour of another co-owner, co-share etc, by paying stamp duty of Rs. 15/- only against “Release Deed” instead of “Conveyance Deed”.....

इस बिल में 15/- रुपये की स्टैम्प ड्यूटी लगाकर अपने इन्ट्रैस्ट को पार्टनर या किसी को भोयर को देने जा रहे हैं।

इसमें दो क्लॉलिज है। ए-क्लॉज में तो अपनी प्रौपर्टी का हिस्सा खून के रि तेदार को देने की बात है। इसमें तो 15/- रूपये स्टैम्प ड्यूटी सीमित रखी है। यह अच्छी बात है। लेकिन जो दूसरी क्लॉज है जिसमें को भोयर की बात है। जैसे कई को भोयर हो जाते हैं जिनमें खून का रि ता नहीं हो उनके लिए कंविस डीड के तहत ज्यादा पैसे लेने की सरकार ने तजबी की हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि कई बाद पार्टनरिप की जाती है तो एक आदमी के पास प्रौपर्टी खरीदने के लिए इकट्ठा पैसा नहीं हो सकता और 4-5 लोग इकट्ठे मिलकर एक खरीद लेते हैं। इसके बाद 1 साल, 2 साल या पांच साल के बाद उन लोगों में आपस में झगड़ा भुय हो जाते हैं तो उस स्थिति में कोई आदमी यह सोचता है कि यह तो घाटे का सौदा है आर यह महसूस करता है कि अपनी चीज दूसरे को रिलीज कर दूं और वह कंविस डीड द्वारा अपने हिस्सेदार का रिलीज कर देता है ताक कम से कम झगड़ेबाजी से तो बचा जाएगा और लट्ट तो नहीं बजेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि सरकार की आज के दिन वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है लेकिन कंविस डीड को रिलीज करना पड़ेगा तो वह भाययद रिलीज न करें। इसलिज जो काम 15 रूपये देकर ही जाता था वह झगड़ेबाजी तक चला जाएगा। जैसा कि पहले से लोग कह भी रहे थे मिसयेज करके लोग 15/- रूपये फीस देकर अपनी डीड दे देते थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई आदमी किसी प्रोपटी में हिस्सेदार होने के बाद पांच-सात साल तक पार्टनरिप निभाने की कोर्िा करें और उसके बाद न निभा

पाए तो दूसरे हिस्सेदार को अगर वह रिलीज करना चाहते उसे करने दीजिए। अगर सरकार उसको जबरदस्ती उसी दायरे के अन्दर बांधे रखेगी तो उसका परियाम यह होगा कि थोड़े दिन के बाद तनाव बढ़ते-बढ़ते फौजदारी झगड़े हो जाएंगे, पुलिस का प्रबन्ध करना पड़ेगा। इससे बढ़िया तो यह है कि 'बी' क्लाज को डिलीट कर दें। वरना मैं समझता हूँ कि तरह के बिल को लाना नहीं चाहिए। इससे हमारे प्रांत में झगड़े बाजी होगी मैं इस बिल को अपोज करता हूँ।

श्री धीरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस बिल की मं ता को नहीं देखा। वर्तमान सरकार ने लोगों की भावनाओं को देखते हुए यह सं गोधन प्रस्तुत किया और हाउस के सामने लेकर आये हैं इसमें साफ लिखा हुआ है कि जहां खून का रि ता है उनको एग्जैम्भ किया हुआ है इसके अलावा पैतृक सम्पत्ति को भी छूट दी हुई है। इसके विपरीत माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि दो हिस्सेदार है या 4 हिस्सेदार है उनमें दो महीने बाद झगड़ा हो जाएगा। यह हो जाएगा, वह हो जाएगा। इसमें कम से कम चह चीज तो क्लियर आएगी कि कौन बोगस फर्म चला रहा है और कौन क्या कर रहा है इस सं गोधन के क्ष्वारा सच्चाई सामने आएगी। कोई झगड़ रहे नहीं हो रहे हैं बल्कि झगड़े कम हो रहे हैं। अगर कोई अपना भोयर दूसरी पार्टी को देगा तो उसकी तसवीर भी सामने आएगी। मैं आपके द्वारा सोर हाउस से यह विनती करता हूँ कि इस सं गोधन द्वारा सरकार की

मं गा प्रदे ा के लोगों के विकास की है। इससे लोगों ने भाईचारा कायम रहेगा। अच्छी परम्परा बनेगी। अध्यक्ष महोदय उधर के लोग तो दो नम्बर के काम को बढ़ावा देना चाहते हैं जबकि हम तो यह चाहते हैं कि लोगों में इससे भाईचारा कायम हो।

वित्त मंत्री (श्री सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने डिटेल में बात दिया है फिर भी भायद ये लोग समझ नहीं पाये। मैं क्लियर कर देता हूँ। यें कह रहे हैं। कि हम अमैण्डमैन्ट करने जा रहे हैं। हम तो उल्हा लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, दो बातें हैं एक तो को-पार्टनर या को योरर की बात है। और दूसरी बात को-पार्टनर के बारे में कह रहे थे।। ये पढ़े-लिखे और सियाणे आदमी है, अच्छे जमींदार भी है इसलिए इनको आपके माध्यम से मैं बातना चाहता हूँ कि मान लो अगर 4 लोगों ने प्रोपर्टी खरीद ली तो उसमें मिसयूज का तारीका यह होता है जैसे कि किसी के पास 18 एकड जमीन है और दूसरा उसे खरीदना चाहत है तो वह पहले एक कनाल मीन खरीद लेगा। इस तरह से को-पार्टनर बन गया। उसके बाद यदि उसकी मं गा सारी जमीन खरीदने की थी तो ओलनी आगेस्ट रिलीज डीड वह सारी जमीन अपने नाम कर लेगा। इसका मतलब है कि उसको स्टैप्ट ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है अगर ऐसा ही होता रहेगातो रजिस्ट्रियां ही बन्द हो जाएंगी। चौधरी बंसी लाल जीने तो अपने टाईम में कानून पास कर दिया कि अगर ब्लड रिले ांज में भी किसी ने जमीन खरीदनी है तो वह भी रजिस्ट्रियां करवाओं

बंसीलाल जी नते तो खून के रि तो को भी बख्भा। आप जतने है कि खून के रि ते 4-4 व 5-5 पीढ़ियों तक निकल जाती है और उनकी जमीन सांझे में चलती रहती है। अब उनको भी रिलीफ दिया है कि वह भी अपना भोयर आपस में किस के नाम करवाना चाहते तो करवा सकते हैं इनको तो इस बिल को एप्रिं टायट करना चाहिए। जिस बात को हम डिलीट करने जा रहे हैं। क्या आप इस डिलिं टान के अगेस्ट है। अमेंडमेंट केवल इनता है। कि We want to detete this is all.

श्री इन्द्रजीत सिंह: स्पीकर साहब, एफ0एम0 साहिब ने एक उदाहरण दे करके इस बिल को क्लैरीफाई करने का प्रयास किया है जो सिनैरियों इन्होंने बताया मैं भी इनको एक नैरियां बताना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति से 18 एकड़ जमीन 4 आदमी इकटठे होकर को खरीदना चाहते तो जो मालिक हैं वह कहता है कि मैं तो 18 की 18 एकड़ जमीन एक मु त बेचूंगा, इसके चार हिस्से करके नहीं बेचूंगा। उनमें से एक आदमी के पास उस व्यक्ति की सारी जमीन लेने के लिए पैसे नहीं थे तो फिर 4 आदमियों ने मिलकर उस जमीनको खरीद लिया जबकि वे आपसे में रि तेदार नहीं है। एक साल, दो साल या 10 साल के बाद उनके बची में झगड़ेबाजी भुरू हो गई। एक कहता है कि आज से 10 साल पहले जो पैसा मैंने लगाया है तो उसी भाव के मुताबिक में अपना भोयर उनको सरेन्डर करके एक चौथाई अपना भोयर देना चाहता हूँ (विधन)

श्री धीरपाल सिंह: हम यह संशोधन नहीं कर रहे। यह तो आलरेडी बिल में प्रोवीजन हैं इसमें जो संशोधन किया गया है उसमें यह है कि जो खून का रिता है जिनकी पैतृक सम्पत्ति है, उस पर भी चौधरी बंसी लाल जी के समय में फीस लगती थी। हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के निर्देशों की पालना करते हुए उसमें संशोधन कर रहे हैं। और जो गलत काम श्री बंसी लाल जी के समयमें हुए थे वर्तमान सरकार ने उनको ठीक करने का प्रयत्न किया है राव साहबा, इसमें तो हमने यह छूट दी है दिक्कत यह रही है कि सीनियर मोस्ट होने के बावजूद भी आप वहां तक नहीं पहुंच पाये जहां तक आपको पहुंचाना चाहिए था।

श्री इन्द्रजीत सिंह: ब्लड रिटान को आप रिलीफ दे रहे हैं मैं इसकी सराहना करता हूँ। मुझे तो इस बिल के बी-सैवटान पर आपत्ति है।

श्री धीरपाल सिंह: वह तो पहले से ही कन्टीन्यू हैं

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): हमने तो इसमें संशोधन करके थोड़ा और आगे कर दिया है कि बुआ की जायदार भतीजा भी ले सकता है। और नानी की जायदान उसका दोहता भी ले सकता है हने तो इसे और ज्यादा सरल कर दिया।

Mr. Speaker: Question is-

That the Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr. Speaker: Question is-

That clause-2 stand part of the Bill

The motion was carried

Clause-1

Mr. Speaker: Question is-

That clause-1 stands part of the Bill

The motion was carried

Enacting Formula

Mr. speaker: Question-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That clause-1 stands part of the Bill

The motion was carried

Title

Mr. Speaker: Questions-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Mr. Speaker: Now, the Revenue Minister will move that the Bill be passed.

ग्राम एवं नगर आयोजन मंत्री (श्री धीरपाल सिंह): सर, मैं प्रस्ताव करता हूँ—

कि बिल पारित किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

धन्यवाद देना

मुख्य मंत्री (चौधरी ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने बहुत ही अच्छे माहौल में इस हाउस को चलाया और बहुत फिराखदिली दिखाई विधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों को भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत ही अच्छे माहौल में हमारा यह बजट अधिवेशन सदस्यों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि अबहुत ही

अच्छे माहौल में हमारा यह बजट अधिवेदन समाप्त हुआ है और इसके लिए सदन के विपक्ष के नेता भी बधाई के पात्र हैं यह बात ठीक है उनमें कुछसाथी बेकाबू हो जाते रहे हैं। (हंसी) लेकिन इनकी तरह से प्रयास जरूर हुआ है अध्यक्ष महोदय, मैं अधिकारीगण का भी आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने भी सदन के सदस्यों को सही सूचनाएँ उपलब्ध करवाईं। इसके साथ ही मैं श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने बहुत ही अच्छे माहौल में अच्छा वातावरण कायम करने की कोशिश की। मेरे एक फाजिल दोस्त वाक आउट करके चले गए। उनको चाहिए था कि यहां पर बैठे रहते और सारी बात को सुनते तो मैं बहुत अच्छे ढंग से सारी बात बनाता। लेकिन सदन की जाकारी के लिए मैं बातना चाहूंगा कि मेरे विरुद्ध जिस एफ0आई0आर0 का जिक्र किया जा रहा था उसी की वजह से वे अपनी कालिंग अटेंशन में भी नहीं पढ़ पाए जो भायद वे ज्यादा जरूर समझते थे या नहीं समझते थे ओर ए और ही विषय को लेकर उन्होंने चर्चा की। इसके माध्यम से उन्होंने भायद अखबारों की सुखियों में छपने का प्रयास किया है। जिस एफ0आई0आर0 का जिक्र किया गया तो मठ सबार में कहना चाहूंगा कि एफ0आई0आर0 तो कोई भी किसी के भी खिलाफ दर्ज करवा सकता है अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने कोई भी केस विद्वान नहीं किया। जिस केस को वे जिक्र कर रहे हैं वे केस बाकायगी से कोर्ट में। तय हुआ है इस केस में पूरी तरह से इन्कवायरी करके उसको कोर्ट द्वारा खारिज किया गया है पता नहीं वे क्या बताना चाह रहे थे या क्या क्या कहना चाह रहे थे या

उनकी क्या मं ता थी। अध्यक्ष महोदय, यह तो पुरानी सरार की प्रथा, चौधरी बंसी लाल की सरकार में इस प्रकार के केसिज विदद्वा हुए है। श्री कर्ण सिंह के खिलाफ भी ऐसे केसिज विदद्वा हुए हैं वे यहां से उठर चक चले गए है ओर अब तो अगनले सदन में ही हाउस में आ पाएंगे। जानबूझ कर कुछ लोग अच्छे माहौल में तलखी पैदा करने का प्रयास किया करत `हैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं और यह उम्मीद रखूंगा कि सदन की गरिमाको बरकार रखते हुए इसी प्रकार से आग्र के लिए हरियाणा प्रदे ास में बहुत अच्छे ट्रैडी ान्ज कायम करत रहेगे। आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हम आपके बहुत ही आभारी है। कि आपने सै ान को बहुत ही भानदार तरीके से चलाया। इस सै ान के बारे में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि सै ान का समय बहुत थोड़ा रखा गया है बजट सै ान कम से कम 15-20 दिउन का जरूर होना चाहिए। हो सकता है किस सरकार के सामन कुछ मजबूरिया हो लेकिन जो हाउस ने कर दिया सो सही है लेकिन आइन्दा के लिए जरूर ध्यान रखा जाए कि बजट सै ान कम से कम तीन हफते से कम नही होना चाहिए। 15 दिन से कम का बजट सै ान तो किसी भर राज में नही रहा चाहे वह चौधरी बंसी लाल जी का राज रहा हो चाहे भजन लाल का। यह जरूर कहूंगा कि अगले बजट सै ान 15 दिन से कम के रहें अध्यक्ष महोदय, दूसरे हम लीडर आफ दि हाउस के बड़े

आभारी है कि उन्होंने डिप्टी स्पीकर के लिए गहलोट साहब का नाम चुना (विधन) गहलोट साहब बहुत काबिल, समझदार सुलझे हुए और बढ़िया आदमी है उनको डिप्टी स्पीकर बनाने के लिए हम आपको बधाई देते हैं लेकिन एक बात मैं इस बारे में यह कहूंगा कि अभी दो घण्टे से ज्यादा समय हाउस को चलते हुए हुए हो गया है, चेयर पर बिठाने के लिए उन्हें समय नहीं दिया गया, कम से कम आधा समय तो उनको दिया जाना चाहिए था ताकि अखबारमें भी यह बात आ जाती कि डिप्टी स्पीकर साहब ने हाउस को को रिप्रजाईड ओवर किया और आगे के लिए भी उम्मीद करता हूं कि वे ऐसा ही करेंगे। इसके साथ ही मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वे भविष्य में माइन्ड को थोड़ा कूल रखेंगे क्योंकि मुख्य मंत्री को माइन्ड कूल रखना पड़ता है। (विधन) वे मीठा बोले ताकि सारा माहौल ठीक रह सके। आगे चल कर 6 महीने में सरकार की कारगुजारी देखेंगे और ओर जो अच्छे काम सरकार करेगी उनके लिए हम सरकार की तारीफ भी करेंगे। बहुत-बहुत भुक्रिया।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: लीडर दि ओपीजी इन ने डिप्टी स्पीकर साहब के चयन की सराहना की मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हम तो उस ट्रैडी इन को भी बरकार रखने का प्रयास कर रहे थे (विधन) हमने तो तय कर लिया था कि कांग्रेस पार्टी के किसी सदस्य को डिप्टी स्पीकर बनने का अवसर दिया जाए। (विधन) मैंने आपको जाने से पहले यह कहा था

कि डिप्टी स्पीकर साहब का चुनाव होना है। आप बैठिए। आप कूल तो रहते हैं लेकिन जब बगल में झांकते हैं तो आपको गुस्सा आ जाता है (हंसी) अध्यक्ष महोदय, मेरे से एक चूक हो गई। मैं विशेष तौर पर प्रैस का भी आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने अपनी कलम के माध्यम से यहां की बातों को बहुत अच्छे ढंग से जनता तक पहुंचाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रैस की भूमिका आगे भी ऐसी ही रहेगी ताकि जनतंत्र कायम रह सके। आप सबका बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, बजट सत्र में सत्ता पक्ष के नेता और मैम्बर्ज, विपक्ष के नेता और मैम्बर्ज तथा सभी इन्डीपेंडेंट सदस्यों ने सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपने बहुमूल्य सुझाव दिए इसके लिए मैं आप सब का आभारी हूँ। आज तक गवर्नर ऐड्रेस पर इस सदन में जितना समय हमने दिया है वह समय पहले कभी भी किसी सरकार के वक्त में नहीं दिया गया है। बजट पर भी बहुत से माननीय सदस्य बोले और पर्याप्त मात्रा में समय दिया गया है और सभी ने इसमें मुझे को-आप्रेट किया है इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ मैं अधिकारीगण और प्रैस के सदस्यों का भी आभारी हूँ। यहां पर जो दिक्रिप्शन्स थे उन्होंने भी बड़े आराम से सदन की कार्यवाही को सुना है इसके लिए मैं उनका भुक्रगुजार हूँ। यहां पर कई नये साथी आए हैं और उनको यहां के प्रोसीजर का पता नहीं था। उनको एजुकेट करने के लिए, उनके क्या-क्या अधिकार हैं। उनको समझाने के लिए हम

यहां पर एक ट्रेनिक कैम्प जल्दी ही लगाएंगे। अगर कोई मैम्बर जो दो तीन बार चुन कर आ चुका हो और सह भी यह ट्रेनिक कैम्प अटैंड करना चाहता हो तो वह भी निसंकोच अपना नाम इसके लिए जब हम नाम मागेगो तो दे सकता हैं वह किसी प्रकार से हैजिटेड न करें। पढ़ाई कभी भी खत्म नहीं होती है। कभी भी पढ़ा जा सकता है। पढ़ता-पढ़ता आदमी बूछा भी हो जाता हैं अगर किसी को जो थोड़ी बहुत कमी नजर आई होगी मुझे उम्मीद है कि वह आईन्दा नहीं आएगी। मै एक बार फिर आप सब को आभार प्रकट करता हूं और सबाका धन्यवाद करता हूं।

Mr. Speaker: Now, the House is adjourned sine-die.

11.30 Hrs.

(The Sabha then adjourned sine-die.)